संख्या-57/2016/1369/पन्द्रह-10-2016-47(01)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3-शिक्षा निदेशक (मा0),
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई, 2016

विषय- वर्ष 2016 में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण "मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्या धन योजना" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या-1268/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 18 जून, 2015, शासनादेश संख्या-1775/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश संख्या-93/पन्द्रह-10-2016-47(01)/2015 दिनांक 10 मार्च 2016 द्वारा वर्ष 2015 में मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्या धन योजना लागू की गयी थी।

2- प्रश्नगत संशोधित कन्या विद्या धन योजना प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गयी। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त संशोधित कन्या विद्या धन योजना को शासनादेश संख्या-1268/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 18 जून, 2015, शासनादेश संख्या-1775/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश संख्या-93/पन्द्रह-10-2016-47(01)/2015 दिनांक 10 मार्च 2016 द्वारा वर्ष 2015 द्वारा निर्धारित मानक एवं शर्तों के अनुसार गतवर्ष की भांति श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- तदनुसार वर्ष 2016 में मेधावी छात्राओं के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट/स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण 99,000 छात्राओं को प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की धनराशि प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा।

4- योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक मंे अनुदान संख्या-72 में रू0 237.00 करोड़ (रू0 दो अरब सैंतीस करोड़ मात्र) तथा अनुदान संख्या-83 में रू0 63.00 करोड़ (रू0 तिरसठ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 300.00 करोड़ (रू0 तीन अरब मात्र) के सापेक्ष कुल 99,000 मेधावी छात्राओं को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 20 % अल्पसंख्यक तथा 21 % अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग अनुसूचित/जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाएगा।

5- प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष योजनान्तर्गत प्रति छात्रा रू0 30,000/- की दर से निर्धारित लक्ष्य 99,000 छात्राओं को लाभान्वित किये जाने पर कुल रू0 297.00 करोड़ (रू0 दो अरब सत्तानबे करोड़ मात्र) तथा 1ः प्रशासकीय व्यय की धनराशि रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़ मात्र) अर्थात् रू0 300.00 करोड़ (रू0 तीन अरब मात्र) की कुल धनराशि व्यय की जाएगी।

www.shasanadesh.up.nic.in

6- प्रश्नगत योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जायेगी। अतएव योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 1 % की सीमा तक व्यय प्रशासकीय मद में योजना के क्रियान्वयन, अभिलेखों के रख-रखाव तथा वितरण इत्यादि एवं परिवहन व्यय हेतु अनुमन्य किया जायेगा।

7- योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् चयन समिति का गठन किया जायेगाः-

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
4-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव

8- प्रश्नगत योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उल्लिखित शासनादेश संख्या-1268/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 18 जून, 2015, शासनादेश संख्या-1775/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 11 अगस्त, 2015 द्वारा निर्धारित मानक शर्तों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-57/2016/1369/पन्द्रह-10-2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महा लेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलीय, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 शाहमीना रोड़ लखनऊ।
5- सचिव, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6- चेयरमैन, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड पी0-35-36 सेक्टर-5 पुण्य विहार साकेत, नई दिल्ली-110017
7- क्षेत्रीय सचिव, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, 35-सिविल लाइन्स, महात्मा गांधी रोड़, इलाहाबाद-221001
8- क्षेत्रीय सचिव, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, 99 काबोलागढ़ रोड़ देहरादून(उत्तराखण्ड), -248001
9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0। (शिक्षा निदेशक (मा0) के माध्यम से)
10- वित्त ई-11/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
12- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
13- वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
14- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
15- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव

www.shasanadesh.up.nic.in